



संख्या-482/2026/II/1434756/2026/001-CN-1932229-6-7099-424-2025

प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

उ०प्र० लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 17 अगस्त, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3774 अदद 9 एमएम पिस्टल एवं 2500 अदद 9 एमएम कार्बाइन के क्रय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- उप०प्रको०-338-2025(लॉजिस्टिक्स) दिनांक 18.06.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 3774 अदद 9 एमएम पिस्टल एवं 2500 अदद 9 एमएम कार्बाइन के क्रयार्थ निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार रु कुल 25,65,92,556/- (रु पच्चीस करोड़ पैंसठ लाख वानवे हजार पांच सौ छप्पन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु में)

क्रमांक	शस्त्र का नाम	संख्या	क्रय दर (धनराशि रु में)	कुल व्ययभार (धनराशि रु में)
1	9mm Pistol	3774	31,044/-	11,71,60,056/-
2	9mm Sub Machine Gun	2500	55,773/-	13,94,32,500/-
योग				रु 25,65,92,556/-

(1) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/एसटीएफ मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु-2 के शा०दि० 26.11.2024 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में उ०प्र० प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों / शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/एसटीएफ मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरणों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/एसटीएफ मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों के मेक/ मॉडल/ स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के सम्बन्ध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/एसटीएफ मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(5) उपकरणों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

(6) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/एसटीएफ मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28-03-2026 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/एसटीएफ मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रश्रुत प्रायोजन हेतु स्वीकृत धनराशि के अनाहरण के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(8) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/एसटीएफ मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रश्रुत प्रायोजन हेतु वहन की जाने वाली धनराशि के सुसंगत लेखाशीर्ष की शुद्धता के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(9) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/एसटीएफ मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दि0 31 मार्च, 2027 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(10) यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के समक्ष कोई अन्य उपकरण/सेवाएं क्रय न किया जाये, किसी प्रकार का विचलन न किया जाय।

(11) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/आडिट आपत्ति हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/एसटीएफ मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,65,92,556 (रुपये पच्चीस करोड़ पैंसठ लाख बानबे हजार पाँच सौ छप्पन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4070008000900 जिला पुलिस (मुख्य) मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-12-164-X-2026-27-दिनांक: 14-08-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अन्नावि दिनेशकुमार

विशेष सचिव।

संख्या-482/2026//1434756/2026/001-CN-1932229-6-7099-424-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3-पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4-अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- अपर पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6-निदेशक, वित्तीय एवं साख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
- 7-संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।
- 8-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।
- 9- गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव ।